कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित **श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी **सर्वश्री नन्हें मियाँ ढोलक मर्चेन्ट, आजाद रोड, अमरोहा।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक **008 / 13, 13.03.2013**
प्रार्थी की ओर से **कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री नन्हें मियाँ ढोलक मर्चेन्ट आजाद रोड, अमरोहा द्वारा दिनांक 13.03.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' हस्त निर्मित स्वदेशी वाद्ययन्त्रों '' पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 03.04.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन मुरादाबाद द्वारा पत्र संख्या-228, दिनांक 20.04.2013 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी का वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.03.2011 एवं 30.06.2012 को पारित है जिसमें व्यापारी द्वारा निर्माण प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए हस्त निर्मित स्वदेशी वाद्ययन्त्र न मानते हुए अवर्गीकृत वस्तु की भाँति कर आरोपित किया गया है। व्यापारी द्वारा वर्ष 2007-08 के कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध अपील भी दायर की गयी है। अत: प्रक्रिया लम्बित होने के कारण धारा-59 का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) के प्राविधानों के अनुसार किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न प्रश्न धारा-59 के अन्तर्गत विचारणीय नहीं है। अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन मुरादाबाद द्वारा प्रेषित आख्या का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रस्तुत मामले में कर निर्धारण आदेश पारित होने तथा उनकी अपील दायर होने के बाद प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दिया गया है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) के प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है जिसे अस्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 11 अप्रैल, 2014 ह0 / 11.04.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।